

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,
हापुड़।**

पत्रांक:— 347 / सामान्य— 5 / 07 दिनांक:— 15.03.2017

निविदा सूचना

उ०प्र० जल निगम की ओर से जनपद हापुड़ में निम्नलिखित कार्यों हेतु सक्षम व पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 20.04.2017 को अपरान्ह 03:00 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 21.04.2017 को अपरान्ह 12:30 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, हापुड़ में इच्छुक व उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	हैण्डपम्पों की संख्या	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा का मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5
1	जनपद हापुड़, विकास खण्ड हापुड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों (नये/रिबोर) के अधिष्ठापन का कार्य।	100 नग	25,000.00	2500.00+14.5% वैट
2	जनपद हापुड़, विकास खण्ड सिम्भावली के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों (नये/रिबोर) के अधिष्ठापन का कार्य।	100 नग	25,000.00	2500.00+14.5% वैट
3	जनपद हापुड़, विकास खण्ड गढ़मुक्तेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों (नये/रिबोर) के अधिष्ठापन का कार्य।	100 नग	25,000.00	2500.00+14.5% वैट
4	जनपद हापुड़, विकास खण्ड धौलाना के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों (नये/रिबोर) के अधिष्ठापन का कार्य।	100 नग	25,000.00	2500.00+14.5% वैट

नियम व शर्तें:—

1. उक्त कार्यों हेतु 'सी' श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी के सामान्य पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जायेंगे।
2. निविदायें दिनांक 13.04.2017 से 19.04.2017 तक किसी भी कार्य दिवस व कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, मेरठ, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हापुड़ तथा कार्यालय जिलाधिकारी, हापुड़ से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हापुड़ के नाम देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
4. डाक द्वारा निविदा मंगाने पर रु० 300.00 प्रति निविदा अतिरिक्त देना होगा। डाक द्वारा भेजी गई निविदा समय से प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
5. उक्त निविदायें क्रमांक 2 पर दर्शाये गये कार्यालयों में दिनांक 20.04.2017 की अपरान्ह 03:00 बजे तक धरोहर धनराशि एवं वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है।
6. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हापुड़ के पक्ष में बंधक राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में ही स्वीकार की जायेंगी।

7. बिना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार स्वीकर्ताधिकारी के पास सुरक्षित है।
8. निविदा प्राप्त करने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में आमन्त्रित/खोली जायेंगी।
9. राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में भाग लिये जाने की अनुमति नहीं है। यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसी निविदा व अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
10. कार्यों की मात्रा किसी भी सीमा तक घट-बढ़ सकती है। इस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. विभागीय दरों से कम दरें कोट (quote) करने पर अनुबन्ध के समय शासनादेश सं0 622/23.12.2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत की दर से (10% तक दरें कम कोट करने पर) एवं 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत की दर से (10% से अधिक दरें कम कोट करने पर) अनिवार्य रूप से ली जायेगी।
12. विस्तृत जानकारी www.upjn.org से प्राप्त की जा सकती है।
13. अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल/प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ में ठेकेदार को पंजीकृत होना चाहिए।

(एस0के0 जैन)
अधिशासी अभियन्ता